कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर, मार्फत 56 ए.पी.ओ.

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही (सामान्य ड्यूटी) (पुरूष/महिला) 2010 की भर्ती के लिए विज्ञापन :–

1. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही(जीडी) पदों की भर्ती के लिए उन भारतीय पुरूष/महिला नागरिकों से जो कश्मीर क्षेत्र (जम्मु एवं कश्मीर) के निवासी हैं, से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2 इस पद का वेतनमान वेतन बैण्ड–1, रू. 5200–20200, ग्रेड वेतन रू. 2000/– है।

3 अन्य भत्ते – नियमानुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को समय–समय पर देय अनुसार।

4 ड्यूटी का स्थान – भारतवर्ष के अन्दर या भारत से बाहर किसी भी क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है।

5 (i) जम्मु एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर क्षेत्र के लिए वर्गवार रिक्तियॉं निम्न प्रकार से जारी/प्रकाशित की जाती हैं :–

क्रम सं0	राज्य का नाम	पुरूष अभ्यर्थी													महिला अभ्यर्थी								
		रिक्तियॉं									बैकलाग रिक्तियॉं				रिक्तियॉं					बैकलाग रिक्तियॉं			
		सामान्य	भू0पू0 सैनिक	अन्य पिछड़ा वर्ग	भू0पू0 सैनिक	अनुसूचित जाति	भू0पू0 सैनिक	अनुसूचित जनजाति	भू0पू0 सैनिक	कुल रिक्तियॉं	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल रिक्तियॉं	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल रिक्तियॉं	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल रिक्तियॉं
1.	जे एण्ड के राज्य के कश्मीर क्षेत्र	25	3	13	1	4	-	5	1	52	17	6	-	23	-	1	-	-	1	-	-	-	-

(ii) उपरोक्त के अलावा जम्मु एवं कश्मीर राज्य के उग्रवाद प्रभावित कश्मीर क्षेत्र के लिए निम्नलिखित रिक्तियॉं जारी/प्रकाशित की जाती हैं।

क्रम सं0	राज्य का नाम	उग्रवाद त्रस्त छोषित क्षेत्र	पुरूष अभ्यर्थी									महिला अभ्यर्थी				
			रिक्तियॉं									रिक्तियॉं				
			सामान्य	भू0पू0 सैनिक	अन्य पिछड़ा वर्ग	भू0पू0 सैनिक	अनुसूचित जाति	भू0पू0 सैनिक	अनुसूचित जनजाति	भू0पू0 सैनिक	कुल रिक्तियॉं	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल रिक्तियॉं
1.	जम्मु एवं कश्मीर	कश्मीर के सभी क्षेत्र	82	9	41	5	13	1	17	2	170	2	-	-	-	2

लगातार पेज दो पर

नोट—

i) उपरोक्त रिक्तियाँ प्रशासनिक कारणों से बिना कोई कारण बताए घट/बढ़ सकती है।

ii) यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक भर्ती के लिए नहीं आते हैं तो उनके लिए आरक्षित रखी गई रिक्तियाँ उसी श्रेणी के उम्मीदवारों से भरी जायेंगी।

6. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए दिनॉक 1.1.2004 से लागू नई अंशदायी पेशन योजना (New Contributory Pension Scheme) सभी चयनित उम्मीदवारों पर लागू होगी।

7. प्रशिक्षित सैनिक (trained Soldier) होने के कारण भूतपूर्व सैनिकों को केवल लिखित परीक्षा, मेडीकल फिटनेस परीक्षा देनी होगी। सरकारी आदेशानुसार निर्धारित शारीरिक मापदण्ड एवं शिक्षा के संबंध में इन्हें छूट देय होगी। इन्हें ऊपरी आयु सीमा में मिलिटरी सेवा के अतिरिक्त तीन वर्षों की छूट देय है। बहरहाल, आर्मी सेवा एवं पुर्ननियोजन के बीच अंतर (Break) 24 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए शारिरीक दक्षता परीक्षा (पी.ई.टी.) आवश्यक नहीं है।

8. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में सेवारत कार्मिकों की संतान, यदि इच्छुक हो तो आवेदन कर सकते हैं। उन्हें आम उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी होगी। केरिपुबल में कार्यरत् कार्मिकों के बच्चें अपने गृह राज्य या जहॉ उनके माता/पिता भर्ती के समय तैनात है, पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

9. उपर्युक्त पद की पात्रता के लिए शर्तें निम्न प्रकार से हैं —

क. <u>आयु</u> — दिनॉक 1.8.2010 को 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

<u>छूटः</u>—
अनुसूचित <u>जाति/अनुसूचित</u> जनजाति श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 5 वर्ष तक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवार 3 वर्ष अतिरिक्त रूप से छूट हैं।

i) जम्मु एवं कश्मीर के निवाशियों में उपरी आयु में पॉच वर्ष की छूट हैं। (इस संदर्भ में सूचना पुस्तिका के पैरा 2(ii) (ख) का संदर्भ लें)।

ii) 1984 के दंगों तथा 2002 के गुजरात में हुए जातिय हिसा में मारे गये लोगों के बच्चों तथा आश्रितों को 5 साल उम्र में छूट हैं। (इस संदर्भ में सूचना पूस्तिका के पैरा 2(ii) (ग) का संदर्भ लें)।

लगातार पेज 3 पर

ख. <u>शैक्षिक अर्हता</u> – मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण।

ग. <u>शारीरिक मापदण्ड</u> –

ऊँचाई –	पुरूष –	170 सेंटीमीटर
	महिला –	157 सेंटीमीटर
सीना – (केवल पुरूषों के लिए)	बिना फुलाए–	80 सेंटीमीटर
	फुलाने के बाद–	85 सेंटीमीटर

(सीने का न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर आवश्यक है।)

<u>छूट</u> – गढ़वाली, कुमाऊॅनी, गोरखा, डोगरा, मराठा एवं सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, एवं जम्मू व कश्मीर के कश्मीर, लेह व लद्दाख क्षेत्र के उम्मीदवारों एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए के लिए शारिरिक मापदंड (सीना एवं छाती) में छूट देय है। (इस संदर्भ में सूचना पूस्तिका के पैरा 2(iv) (ख, ग एवं घ) का संदर्भ लें)।

वजन– मेडीकल मापदण्ड के अनुसार ऊँचाई व आयु के अनुपात में।

घ. <u>चिकित्सा स्तर :–</u> सूचना पुस्तिका के पैरा 2(v) (क एवं ख) के अनुसार।

10. <u>चयन प्रकिया</u> –

जिन उम्मीदवारों के आवेदन पत्र ठीक पाये जाएंगे उन उम्मीदवारों को भर्ती की प्रकिया में शामिल होने के लिए कॉल लेटर/एडमीट कार्ड जारी किये जायेंगे। तथा योग्य उम्मीदवारों की सूची आवेदन प्राप्ती केन्द्र में लगाई जाएगी। उम्मीदवारों को निम्नलिखित भर्ती प्रकियाओं से गुजरना होगा–

क) उॅचाई जॉच
ख) दौड
ग) पहचान जॉच
घ) दस्तावेजों की जॉच
ड) शारिरिक <u>नापतौल</u>
च) शारीरिक दक्षता परीक्षा
छ) लिखित परीक्षा
ज) चिकित्सा परीक्षा

नोटः– संपूर्ण भर्ती प्रकिया का विवरण सूचना पुसतिका के पैरा 3 में देखें।

लगातार पेज 4 पर

11. इच्छुक उम्मीदवार ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र पर आवेदन करने होंगे जोकि सूचना पुस्तिका के साथ निम्नलिखित पोस्ट आफिसों में दिंनाक 26/07/2010 से 14/08/2010 तक रूपये 40/– के (चालिस) पोस्टल हैडलिंग चार्ज के भुगतान पर खरीदी जा सकती है ।

क्रम सं0	राज्य का नाम	पोस्ट आफिस का नाम जहां आवेदन पत्र उपलब्ध है
01.	जम्मु कश्मीर का कश्मीर रीजन	अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, सोपीयान, बडगाम, श्रीनगर, गानदरबल, बान्दीपुरा, बारामुल्ला, कुपवारा, कारगिल और लेह

इसके अतिरिक्त सामान्य/ओ0बी0सी वर्ग के उम्मीदवारों को रूपये 50/– (पचास) आवेदन पत्र की फीस के रूप में नजदीकी पोस्ट आफिस जिन में ई पेमैंट सुविधा उपलब्ध है में जमा करना होगा तथा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के निर्धारित कॉलम में ई पेमैंट प्राप्ति संख्या लिखना होगा अन्यथा आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र की फिस के अतिरिक्त ओ0बी0सी0 तथा सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को निर्धारित ई पेमेन्ट चार्ज भी पोस्टल विभाग को भुगतान करना होगा। अनुसुचित जाति, अनुसुचित जन जाति तथा भूतपुर्व सैनिकों को आवेदन फीस की छूट है। ओ0एम0आर0 ओवदन फार्म को केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है। यदि ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र को पोस्ट आफिस से प्राप्त करने में कोई कठिनाई हो तो उम्मीदवार संबंधीत पोस्ट मास्टर से तुरन्त सम्पर्क करेगे। आवेदन पत्रों को सभी प्रकार से पूर्ण करने के उपरांत निधार्रित लिफाफे में नीचे दिये गये आवेदन प्राप्ति केन्द्र में दिंनाक 25/08/2010 को 1730 बजे तक अथवा उससे पूर्व हाथो–हाथ या स्पीड/पंजीकृत डाक द्वारा पहुंचना चाहिए । अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त अथवा अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ओर उन्हे रद्द कर दिया जाएगा।

क्रम सं0	राज्य का नाम	आवेदन प्राप्ति केन्द्र का नाम
01	जम्मु एंव कश्मीर राज्य का कश्मीर क्षेत्र	ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, रामबाग श्रीनगर (जम्मु एवं कश्मीर) एफ0पी0ओ0 720 मार्फत 56 ए0पी0ओ0 पिन 934267

12. आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र /दस्तावेंज/जाति प्रमाण पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवार भर्ती के समय सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उनकी एक सत्यापित छायाप्रति साथ लेकर आएगे। जैसा की सूचना पुस्तिका के पैरा–8 (iii) में उल्लेख है।

लगातार पेज 5 पर

13. कश्मीर क्षेत्र के उम्मीदवारों को उनके आवास के सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही भर्ती हेतु विचार किया जाएगा।

14. उम्मीदवारों की मदद के लिए निम्नलिखीत वेब साईट,हेल्पलाईन तथा एस0एम0एस0 पर आधारित सेवा उपलब्ध की गई है।

क) Interactive Website	: www.crpf.gov.in-recruitment–Ct/GD 2010 or www.crpfrecruitment.org
ख) टेलिफोन नं0	: 0120–3800900
ग) SMS No.	: CRPF56767

उपरोक्त के अलावा उम्मीदवार नीचे दर्शाए गये फोनो पर अथवा ई–मैल भेज कर सेक्टर कार्यालय/प्रार्थना पत्र प्राप्ति केन्द्र से सम्पर्क कर सकते है।

सेक्टर कार्यालय/आवेदन पत्र प्राप्ति केन्द्र	लेडलाईन नं0	मोबाईल नं0	ई–मेल
कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, केरिपुबल	0194.2461280	9419025821	igpadmcrpfsnr@yahoo.co.in
ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, रामबाग, श्रीनगर	0194.2432664	9205000300	gcsnr@crpf.gov.in

15. <u>सामान्य अनुदेश</u> :–

i) चयनित उम्मीदवार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में नियुक्ति के बाद केरिपुबल अधिनियम–1949, केरिपुबल नियमावली–1955 तथा समय–समय पर लागू केन्द्रीय सरकार के नियम/अधिनियम के अन्तर्गत शासित होगें ।

ii) शारीरिक दक्षता परीक्षा/यात्रा के दौरान घटित हुई घटना/दुर्घटना/नुकसान आदि के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।

iii) लिखित परीक्षा में लिखने के लिए लेखन सामग्री (ब्लु/काला बॉल पेन तथा क्लीप बोर्ड आदि) उम्मीदवारों को स्वयं लाना होगा।

iv) उम्मीदवारों को भर्ती के उद्येश्य के लिए रूकने हेतु अपनी व्यवस्था करके आना चाहिए।

लगातार पेज 6 पर

v) चयन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार को अपने खर्च व जोखित पर शामिल होना होगा एवं उसे कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।

vi) सभी योग्य उम्मीदवारों को भर्ती की तिथि एवं स्थान के बारे में डाक द्वारा सूचित किया जाएगा।

vii) अंतिम रूप से नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार सीने के एक्स–रे व पैथालॉजी तथा दुसरे परीक्षणों से गुजरने के लिए उपबन्धित होंगे।

viii) उम्मीदवारों को पद ग्रहण करने पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के प्रशिक्षण संस्थानों में बेसिक प्रशिक्षण करना होगा।

ix) चयन/नियुक्ति के बाद यदि कोई उम्मीदवार अयोग्य पाया जाता है या किसी भी कारण से तथ्यों को छिपाने का दोषी पाया जाता है तो उसकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त कर दी जायेंगी।

x) उम्मीदवार द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग या बाहरी प्रभाव लाने का प्रयास करने पर उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

xi) लिखित परीक्षा का परिणाम केरिपुबल वेबसाइट एवं भर्ती केन्द्र के सुचना पटट पर लगाया जाएगा।

xii) केरिपुबल के भूतपूर्व कर्मचारियों को नय उम्मीदवारों की तरह माना जाएगा तथा उन्हें भूतपूर्व सैनिकों कि तरह किसी प्रकार की छूट देय नही होगी।

हस0 09/07/10
(उमेद सिंह)
पुलिस उपमहानिरीक्षक (प्रशा.)